न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिमी,
लखनऊ।
कि0 केस नं0– 701/17
आर.सी. नं0–0062017ए0015
स्टेट बनाम एन.बी. सिंह

दिनांक 21.12.18

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र बी–36 आपत्ति बी–47, प्रार्थना पत्र बी–38 आपत्ति बी–48, प्रार्थना पत्र पर पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थना पत्र बी–36 अभियुक्त नागेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के विरूद्व आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–7, धारा–13(2) सपठित धारा–13(1)(डी) पी.सी.ऐक्ट एवं धारा–120बी भा0द0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। सी0बी0आई0 द्वारा उसके विरूद्व झूॅठा आरोप पत्र एक झूठी कहानी बनाकर दाखिल किया गया है। शिकायतकर्ता सुरेन्द्र चौधरी एवं नरेन्द्र चौधरी सगे भाई है, जिनके ऊपर एन आर एच एम घोटाले से सम्बन्धित कई केसेस धोखाधडी के चल रहे है और दोनो ने मिल कर सरकारी फंड का दुरूपयोग किया है, जो कई करोड़ो रूपये का है। शिकायतकर्ता ने जानबूझकर एक फर्जी शिकायत पत्र अभियुक्त के विरूद्व सी.बी.आई. में दाखिल किया। सी.बी.आई. के द्वारा भी गलत रूप से सत्यापन किया गया। सी.बी.आई. द्वारा यह भी नहीं देखा गया कि अभियुक्त लोक सेवक है और उसके विरूद्व विधिक प्राविधान को पूरा करे बिना पहले झूॅठी शिकायत का फर्जी रूप से सत्यापन किया गया और फिर उसके विरूद्व फर्जी आरोप पत्र दाखिल किया गया। प्रार्थी अभियुक्त के पास से कोई भी रिश्वत की धनराशि बरामद नहीं हुई है और न ही यह साबित होता है कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से कोई रिश्वत की मांग की थी। चूंकि शिकायतकर्ता के ऊपर आर्थिक अपराध से सम्बन्धित कई केस चल रहे थे और इसलिए दबाव बनाने के लिए फर्जी एफ.आई.आर. कराई गई। प्रार्थी/अभियुक्त ने अपनी 41 वर्ष की सेवा पूरी की है जिसमें कोई भी विपरीत प्रविष्टि(adverse remarks) सेवा के दौरान नहीं मिली है और उसने पूरी ईमानदारी और विश्वसनीयता से पूरी सेवा की है। अभियुक्त दिनांक 19.5.2014 को प्रवर्तन निदेशालय में 3 साल की प्रतिनियुक्ति पर आया था और दिनांक 18.5.2017 को अपना कार्यकाल पूरा करने के उपरान्त रिलीव हो गया था। रिलीव से सम्बन्धित आदेश अभियुक्त ने उपलब्ध कराया है। रिलीव होने के उपरान्त वह प्रवर्तन निदेशालय में, जहॉ शिकायतकर्ता का कार्य लम्बित था, वहॉ वह उस तिथि पर नियुक्त नहीं था और न ही उस विभाग में किसी कार्य को कराने के लिए सक्षम था। दिनांक 18.5.2017 को रिलीव होने के उपरान्त उसने मेडिकल लीव लिया था जिसे बाद में 14 दिन के लिए बढ़ा दिया था। शिकायतकर्ता को भी यह पता था कि वह प्रवर्तन निदेशालय से रिलीव हो चुका है और जून 2017 में रिटायर होने वाला है और जानबूझ कर शिकायतकर्ता ने अभियुक्त के रिलीव होने के उपरांत दिनांक 23.6.17 को प्रार्थना पत्र दिया और दिनांक 23.6.17 की रात में ही फर्जी रूप से इस केस में फॅसाते हुए झूॅठा केस बनाया गया। अभियोजन कहानी पूरी तरह से झूॅठी है, जिसे शिकायतकर्ता ने एक झूठी साजिश के तहत अभियुक्त को फॅसाते हुए तैयार किया है। अतः अभियुक्त के विरूद्व कोई भी आरोप निर्मित नहीं होता है। जब अभियुक्त के पास से न कोई रिश्वत का पैसा बरामद हुआ है और न ही कोई रिश्वत की मांग की गई और रिकार्डिग भी मौजूद नहीं है तब किस प्रकार से अभियुक्त इस षडयन्त्र में शामिल है, यह साबित नहीं है। अतः अभियुक्त को उपरोक्त आधारों पर उन्मोचित किया जाय।

सी0बी0आई0 की ओर से बी–47 आपत्ति प्रस्तुत की गई है और यह कथन किया गया है कि दिनांक 23.6.17 को सी.बी.आई./ए.सी.बी. लखनऊ में एन.बी. सिंह असिसटेन्ट डायरेक्टर प्रवर्तन निदेशालय लखनऊ के विरूद्व वाद दर्ज हुआ। लिखित शिकायत का सत्यापन कराया गया जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि एन.बी. सिंह अभियुक्त सुभाष के साथ मिल कर उसके पेन्डिंग केस को सेटल करने के लिए 50 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। शिकायत का सत्यापन एस.आई. अविनाश गुप्ता द्वारा स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी मे किया गया था। शिकायतकर्ता सुरेन्द्र चौधरी और सह अभियुक्त सुभाष उर्फ आदित्य कुमार पाल के मध्य हुई बातचीत को रिकार्ड किया गया था। इसके पश्चात उसी दिन ट्रैप की कार्यवाही की गई और सह अभियुक्त आदित्य कुमार पाल को 4 लाख रूपये की मांग करते हुए और स्वीकार करते हुए रंगे हाथ होटल नेस्ट–इन के रूम नम्बर 102 में पकड़ा गया। आपत्ति के पैरा 31 पेज–13 पर यह उल्लिखित किया गया है कि विवेचना के दौरान इस बात की पुष्टि हुई कि अभियुक्त आदित्य कुमार पाल उर्फ सुभाष को अभियुक्त एन.बी. सिंह ने ही सुरेन्द्र चौधरी से मिलने और रिश्वत की धनराशि एकत्र करने हेतु भेजा था और उसे अभियुक्त एन.बी. सिंह ने बताया था कि सुरेन्द्र चौधरी कमरा नं0 102 होटल नेस्ट–इन में इंतजार कर रहा है। सभी स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष इस तथ्य को अभियुक्त आदित्य कुमार पाल ने बताया था और उसी समय आदित्य कुमार पाल के मोबाइल नं0 9455129832 पर फोन नं0 7992030275 जो आदित्य कुमार पाल के मोबाइल में साबजी के नाम से सेफ था, से 6 काल आई। आदित्य कुमार पाल को सी.बी.आई. टीम ने फोन रिसीव करने से मना कर दिया था। कुछ देर बाद पोस्ट ट्रेप के दौरान एक व्यक्ति ने कमरा नं0 102 पर नॉक किया और आदित्य कहा। सी.बी.आई. टीम के सभी सदस्य बाथरूम एवं दरवाजे के पीछे छिप गये तब सह अभियुक्त आदित्य कुमार पाल उर्फ सुभाष ने दरवाजा खोला। जो व्यक्ति बाहर से आया, उसने कहा ''और काम हो गया'' सी.बी.आई. टीम बाहर निकली और उस व्यक्ति से उसकी पहचान पूछी तो उसने कहा कि ई.डी. से है। आदित्य कुमार पाल ने आने वाले व्यक्ति को एन.बी. सिंह असिसटेन्ट डायरेक्टर प्रवर्तन निदेशालय के रूप में पहचान कराई और तब यह स्पष्ट हो गया कि आदित्य कुमार पाल और अभियुक्त एन.बी. सिंह के मध्य रिश्वत मांगने और रिश्वत लेने के सम्बन्ध में षडयन्त्र था जिसके तहत कार्य किया जा रहा था। इन सबसे इस बात की पुष्टि होती है कि अभियुक्त ने रिश्वत की मांग की और आदित्य कुमार पाल के माध्यम से रिश्वत को प्राप्त किया। अभियुक्त एन.बी. सिंह एक लोक सेवक है और उसने लोक सेवक रहते हुए जबकि उस पद पर कार्यरत नहीं था और विभाग में कार्य नहीं कर रहा था तब शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग किया और उसके कार्य को निबटाने के लिए फर्जी रूप से आश्वासन दिया। इसलिए अभियुक्त के विरूद्व सभी धाराओं का मामला बनता है। सी.बी.आई. की ओर से सही विवेचना करते हुए आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अभियुक्त के विरूद्व धारा–7, धारा–13(2) सपठित धारा–13(1)(डी) पी.सी.ऐक्ट एवं धारा–120बी भा0द0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त के विरूद्व उपरोक्त वर्णित धाराओं में आरोप विरचित किया जाय।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर शिकायतकर्ता की शिकायत, सत्यापन, प्री–ट्रैप मेमो, कैश डिक्लयरेशन, पोस्ट–ट्रैप मेमो, मोबाइल फोन के स्क्रीन की फोटो का प्रिन्ट आउट, ट्रांसस्क्रिप्ट मेमो, वॉइस इग्जामनेशन रिपोर्ट और सीएफएसएल,

सीएफएसएल की केमिकल इग्जामनेशन रिपोर्ट आदि प्रपत्र उपलबध है, जिसके अवलोकन से यह

स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता सुरेन्द्र चौधरी से सम्बन्धित मामला प्रवर्तन निदेशालय में अभियुक्त एन. बी. सिंह के पास लम्बित था। स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष यह भी स्वीकार किया गया कि उसके मामले को निबटाने के लिए अभियुक्त एन.बी. सिंह द्वारा 50 लाख रूपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। इस रिश्वत की धनराशि को प्राप्त करने के लिए अभियुक्त एन.बी. सिंह द्वारा अभियुक्त आदित्य कुमार पाल उर्फ सुभाष को दिनांक 23.6.17 को होटल नेस्ट–इन के कमरा नं0 102, जो शिकायतकर्ता सुरेन्द्र चौधरी द्वारा बुक कराया गया था, में रिश्वत की रकम लेने हेतु भेजा गया था। अभियुक्त आदित्य कुमार पाल उर्फ सुभाष को सी.बी.आई.टीम द्वारा 4 लाख रूपये रिश्वत की धनराशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया और जब अभियुक्त आदित्य कुमार पाल उर्फ सुभाष गिरफ्तार हो गया उसी दौरान अभियुक्त आदित्य कुमार पाल उर्फ सुभाष के मोबाइल पर 6 काल, उसके फोन पर, जो साबजी के नाम से सेव था, आई और सी.बी.आई. टीम ने उसे फोन को रिसीव करने से मना कर दिया और जब अभियुक्त आदित्य कुमार पाल उर्फ सुभाष द्वारा फोन को नहीं उठाया तब अभियुक्त एन.बी. सिंह स्वयं होटल नेस्ट–इन के कमरा नं0 102 पर पहुॅचा और काम हो गया, इस बात की पूछताछ की। अभियुक्त आदित्य कुमार पाल उर्फ सुभाष ने उक्त होटल के कमरा नं0 102 में अभियुक्त एन.बी. सिंह की पहचान की और दोनों अभियुक्तगण को रिश्वत लेने के कार्य में सम्मिलति होना पाया गया। यद्यपि यह विचारण का विषय है, लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखें से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त एन.बी. सिंह के विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

अभियुक्त का यह कहना कि वह दिनांक 18.5.17 को ही रिलीव हो गया था और दिनांक 23.6.17 को ट्रैप की कार्यवाही के दौरान उसे झूॅठा फॅसाया गया है। इस तथ्य को सही मान भी लिया जाय कि अभियुक्त रिलीव होने के उपरान्त शिकायतकर्ता का कोई कार्य करने के लिए समर्थ नहीं था तब वह होटल नेस्ट–इन के कमरा नं0 102 में दिनांक 23.6.17 की रात में सह अभियुक्त आदित्य कुमार पाल और शिकायतकर्ता सुरेन्द्र चौधरी के साथ क्यों मौजूद था, इसका कोई स्पष्टीकरण उसकी ओर से नहीं दिया गया है।

विधि व्यवस्था **स्टेट आफ देहली बनाम ज्ञानदीन 2001(42) ए सी सी 39 सुप्रीम कोर्ट, स्टेट आफ मध्य प्रदेश बनाम एस.बी. जान्स जे.टी. 2000(1) सुप्रीम कोर्ट 169** में मा0 न्यायालय द्वारा यह अभिमत पारित किया गया है कि आरोप विरचित करते समय पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के बारे में निष्कर्ष नहीं करना है और मात्र यह देखा जाना है कि क्या वास्तव में प्रथम दृष्टया अपराध बनता है अथवा नहीं।

विधि व्यवस्था **संघाई ब्रदर्श प्रा0 लि0 बनाम संजय चौधरी (2008)10 एससी 681, राकेश बनाम स्टेट आफ यू.पी. 2009 (67)एससी 191 इलाहाबाद** में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत पारित किया गया है कि यदि पत्रावली में अभियुक्त के विरूद्व मजबूत व पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है तो भी आरोप विरचित किया जा सकता है।(Charge can be framed even on the basis of strong suspicion founded upon materials before the court which leads the court to form a presumptive opinion as to the existence of the factula ingredients.) उपरोक्त विधि व्यवस्था के आधार पर मात्र यह देखा जाना है कि क्या प्रथम दृष्टया अपराध बनता है या नहीं।

अतः ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में वर्णित किये गये तथ्यों एवं आधारों पर प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य नहीं है। आरोप निर्मित किये जाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौखिक एवं

अभिलेखीय पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थना पत्र वास्ते उन्मोचन तदनुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त नागेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र बी–36 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली आरोप विरचित किये जाने हेतु दिनांक– 14.01.2019 को पेश हो। अभियुक्त नियत तिथि पर उपस्थिति हो।

(डा0 विदुषी सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।